



हरियाणा सरकार

अब हरियाणा में सबके घर का सपना होगा पूरा



“सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है।”
- नरेन्द्र मोदी

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति दिनांक 23.10.2025 के अंतर्गत

गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत और रोहतक शहर में
फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया आरंभ



बुकिंग राशि
मात्र ₹ 10,000

पात्रता

जिन आवेदकों ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए पंजीकरण करवाया था तथा भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में पात्र पाए गए हैं

बुकिंग प्रारंभ तिथि
29.01.2026

पात्र आवेदकों और उपलब्ध फ्लैट की सूची हाउसिंग फॉर आल विभाग की वेबसाइट <https://hfa.haryana.gov.in> पर उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0172-2585852

| हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा